न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 21/2016 G.C.M.S. No. 2016/00510 दर्ज दिनांक : 25.02.2016

अपीलार्थिगण:

1. गणपतसिंह पुत्र मोहनसिंहजी जाति रावणा राजपूत निवासी नारलाई हाल 1632, मन्सुखपुरा, रूपम पैट्रोल पंप के सामने, दरियापुर दरवाजा के बाहर, अहमदाबाद 380010

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भीमसिंह पुत्र नारायणसिंहजी
2. भोपसिंह पुत्र नारायणसिंहजी
3. जमनी बेवा नारायणसिंहजी
   जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण नारलाई तहसील देसूरी, जिला पाली।
4. तहसीलदार साहब, देसूरी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 73ए/2011 बअनवान भीमसिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2013 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थितः–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री राजेन्द्रसिंह विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री प्रवीण व्यास, श्री गुलाबराम विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 73ए/2011 बअनवान भीमसिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2013 प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 3 द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत अपीलाण्ट के पिता के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि ग्राम नारलाई के नये खसरा नम्बर 1238, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245/1, कुल रकबा 2.19 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि एवं खसरा नम्बर 1236 एवं 1237 में से आधे हिस्से की भूमि मोहनसिंह पुत्र मोडसिंहजी के नाम की खातेदारी की दर्ज है। उपरोक्त भूमि को वादी रेस्पोंडेण्ट के दादा मोडसिंहजी की स्वअर्जित निजी सम्पत्ति थीं, जिसमें फैमेली सेटलमेन्ट दिनांक 27.6.1965 के तहत प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

मोहनसिंहजी का कोई हक हिस्सा नहीं रहा था और इस सन्दर्भ में एक वसीयत दिनांक 15.12.88 को वादी रेस्पोंडेण्ट के पिता नारायणसिंहजी के हक में की गई थीं। मोडसिंहजी अहमदाबाद ही रहते थें, वहीं खाते–कमाते थें और संयुक्त कुटुम्ब से अलग थें। इसलिए उपरोक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावें। साथ ही वाद में यह भी दर्ज किया गया कि उपरोक्त भूमि विभाजन के बाद अलग हुई है। पूर्व में उपरोक्त भूमि के अलावा खसरा नम्बर 1235, 1243/1, 1244, 1245 की पूरी आराजी और खसरा नम्बर 1236, 1237 का आधा हिस्सा वादीगण रेस्पोंडेण्ट के पिताजी ने सोनाराम को बेचान कर दी थी, जो कि वर्तमान में सोनाराम के खातेदारी की दर्ज है। उपरोक्त वाद बिना दिनांक ही दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 29.6.2011 की पेशी रखी गई। उपरोक्त आदेशिका में पीठासीन अधिकारी मुख्यालय पर नहीं होने से पेशी इल्तवा की गई और ए.डी. बाद तामील प्राप्त होना बताया गया। आगामी पेशी दिनांक 26.7.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 को बावजूद तामील अनुपस्थित दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पार्टी होने से पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली शहादत वादी में चलती रही। दिनांक 3.10.2012 को पी.डब्ल्यू 1 भोपसिंह, पी.डब्ल्यू. 2 देवाराम के बयान लिये गये। पेशी दिनांक 15.4.2013 को पी.डब्ल्यू–3 ओगड़दास के बयान लिये गये। दिनांक 23.10.2013 को एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वाद को स्वीकार किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बिना प्रतिवादी अर्थात् अपीलाण्ट के पिता मोहनसिंहजी को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किये हैं। अपीलाण्ट के पिता मोहनसिंहजी को विधिवत् न तो नोटिस की तामील हुई थी, न ही दावे की नकलें इत्यादि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार फर्जी व झूठी तामील के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील मानते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित किये गये हैं। वाद–पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 का जो पता दर्ज किया गया है, वह भी अधूरा है इस पते से न तो रजिस्टर्ड डाक आ सकती है, न ही रजिस्टर्ड डाक आई थी, साथ ही रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजे जाने बाबत न्यायालय द्वारा पत्रावली में आदेश पारित नहीं किये गये थें। प्रथम आदेशिका में साधारण तरीके से ही सब प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किए जाने बाबत अंकन किया गया है। रजिस्टर्ड ए.डी. डाक द्वारा सम्मन भेजे जाने बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। इस प्रकार से बिना आदेश के ही न्यायालय के कर्मचारियों से वादीगण ने मिलावट करते हुए अवैध रूप से सम्मन रजिस्टर्ड डाक से आधे–अधूरे पते पर भेज दिये, जिसकी तामील अपीलाण्ट के पिता मोहनसिंहजी को नहीं हुई थीं, फिर भी फर्जी तामील के आधार पर तामील मानकर एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है, जो अवैध व शून्यवृत्त होने से अपास्त योग्य है। विधिवत् रूप से पत्रावली में प्रतिवादी अर्थात् अपीलाण्ट के पिता मोहनसिंहजी के विरुद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने बाबत आदेश पारित नहीं किए गए थें, क्योंकि आदेशिका दिनांक 26.7.2011 में केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित होना बताया गया है। इसमें न तो एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, न ही आगे की आदेशिकाओं में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इस कारण भी सम्पूर्ण प्रक्रिया दोषपूर्ण होने, अपीलाण्ट के पिता मोहनसिंहजी को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का विधिवत् अवसर प्राप्त नहीं होने से पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री अवैध व शून्यवृत्त होने से अपास्त योग्य है। सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों अनुसार सर्वप्रथम साधारण तरीके से ही सम्मन की तामील न्यायालय के माध्यम से करवाई जायेगी। साधारण तरीके से तामील नहीं होने की स्थिति में ही रजिस्टर्ड डाक अथवा प्रतिस्थापित तामील के माध्यम से तामील करवाये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में साधारण तरीके से तामील हेतु एक बार भी सम्मन जारी नहीं किए गए एवं अवैध रूप से बिना आदेश प्रतिस्थापित तामील के रूप में रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजना और तामील होना बताया गया है, जो पूर्णरूपेण अवैध है। अपीलाण्ट के दादा मोडसिंहजी द्वारा वाद में वर्णित अनुसार न तो फैमेली सेटलमेन्ट दस्तावेज का निष्पादन किया गया, न ही वसीयतनामा किया गया। उपरोक्त वाद में वर्णित वसीयतनामा एवं फैमेली सेटलमेन्ट के दस्तावेज पूर्णरूपेण फर्जी एवं कूटरचित है, जिन्हें रेस्पोंडेण्ट्स ने अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि को हडप करने के लिए अवैध रूप से तैयार किये हैं। चूंकि अपीलाण्ट परिवार सहित प्रदेश अहमदाबाद रहता है, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलाण्ट को अपने हक हकूक, हिस्से से महरूम रखने की नियत से अवैध रूप से वाद में वर्णित अनुसार दस्तावेज फर्जी व कूटरचित तैयार कर उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया, जिसे न्यायालय से मिलावट करते हुए अपीलार्थी के पिता को बिना सम्मन की तामील करवाये ही एकपक्षीय रूप से डिक्री करवाकर राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाया है, जो पूर्णरूपेण अवैध व शून्यवृत्त होने से अपास्त योग्य है। वाद में जो गवाहान के बयान हुए हैं, उनसे अपीलार्थी को न तो जिरह का मौका मिला है, न ही अपीलार्थी अथवा अपीलार्थी के पिता को जवाबदावा, साक्ष्य, इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। उपरोक्त गवाहान भी रेस्पोंडेण्ट के मिलने वाले है, जिन्होंने झूठे बयान न्यायालय में दिये हैं। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थी, क्योंकि विधिवत् रूप से उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के वाद की तामील अपीलाण्ट के पिता और वसीयतकर्ता प्रतिवादी मोहनसिंहजी को नहीं हुई थीं एवं फर्जी तथा झूठी तामील के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये थें। इसलिए दिनांक 17.12.2015 को अपीलार्थी गांव नारलाई आया हुआ था। अपीलार्थी अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर भूमि की देखभाल करने हेतु गया, जहां पर रेस्पोंडेण्ट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट पांव नहीं रखेगा, तब अपीलाण्ट द्वारा कहा गया कि उपरोक्त भूमि का खातेदार अपीलाण्ट हो चुका है, क्योंकि अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु होने से पूर्व ही पिताजी द्वारा पंजीबद्ध वसीयत से सम्पूर्ण भूमि अपीलार्थी को वसीयत कर दी है, तब रेस्पोंडेण्ट ने कहा कि उपरोक्त भूमि अब अपीलाण्ट के पिता के नाम नहीं होकर रेस्पोंडेण्ट के नाम हो चुकी हैं। इसलिए जैसे ही अहमदाबाद से आया, वैसे ही अहमदाबाद चला जाए नहीं तो हाथ–पांव तोड़कर पटक देंगे। उपरोक्त कथनों पर अपीलार्थी को शंका हुई और तहसील में जाकर अधिवक्ता के माध्यम से राजस्व रेकर्ड की जानकारी करवाई तब पता चला कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में रेस्पोंडेण्ट के नाम है। जिस पर अधिवक्ताओं के माध्यम से सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की जानकारी की, तब पता चला कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा अपीलार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होकर रेस्पोंडेण्ट्स का नाम दर्ज है। तब नकलों हेतु आवेदन दिनांक 18.12.2015 को अधिवक्ता के माध्यम से करवाया और अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि नकलें मिलने पर अपीलार्थी को सूचित कर दिया जायेगा, जिस पर अपीलार्थी पुनः अहमदाबाद चला गया। अधिवक्ता भरतकुमारजी का लम्बे समय तक फोन नहीं आने, सूचना नहीं मिलने पर पुनः अपीलार्थी दिनांक 23.2.16 को राजस्थान आकर देसूरी गया और अधिवक्ता से मिला तब अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि नकलें दिनांक 23.12.15 को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन सूचना करना भूल गये थें। इस कारण सूचना नहीं हो सकी, जिस पर नकलें आज ही प्राप्त कर उपरोक्त अपील तुरन्त प्रभाव से प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से लिखित बहस पेश की गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा लिखित बहस, संगत विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2013 द्वारा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 24.02.2016 को प्रस्तुत की गई, जो विलंब

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

से प्रस्तुत हुई हैं। अपीलांट द्वारा विलंबकाल के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता व वसीयतकर्ता प्रतिवादी मोहनसिंह को विधिवत तामील नहीं करवाई गई। दिनांक 17.12.2015 को अपीलांट गांव नारलाई आया हुआ था। जब रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट को धमकी देने व यह कहने कि उपरोक्त भूमि रेस्पोंडेंट के नाम हो चुकी हैं। इस पर अपीलांट द्वारा अविलंब अपने अधिवक्ता से संपर्क कर नकल आदि लेकर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.06.2011 को वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को नोटिस प्रेषित किए जाने व आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.06.2011 नियत करने का अंकन है। दिनांक 29.06.2011 को एडी बाद तामील प्राप्त होने का अंकन है तथा आगामी आदेशिका दिनांक 27.07.2011 के अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित का अंकन है। पत्रावली पर न्यायालय से सम्मन डिस्पैच किये जाने की संख्या व दिनांक आदि का कोई अंकन नहीं हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी मोहनसिंह के विरूद्ध समुचित तामील बाबत संशय है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध अनुपस्थिति के बावजूद एकपक्षीय कार्यवाही नहीं किए जाने जैसी विरोधाभास पूर्णस्थिति है। यह सर्वमान्य स्थिति है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रतिवादी की गैर मौजूदगी व गैर जानकारी में पारित की गई हैं। जिसकी निर्णय की दिनांक से प्रतिवादी को जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। चूंकि अपीलांट के पक्ष में प्रतिवादी मोहनसिंह द्वारा पंजीकृत वसीयत किए जाने एवं प्रतिवादी मोहनसिंह के फौत हो जाने के दस्तावेज अभिलेख पर है। अतः हमारे विनम्र मत में विलंबकाल लापरवाहीपूर्वक व जानबूझकर कारित नहीं किया जाकर सद्भाविक, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य है। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण नारायणसिंह पुत्र मोडसिंह के विधिक वारिसान है तथा प्रतिवादी मोहनसिंह पुत्र मोडसिंह व नारायणसिंह पुत्र मोडसिंह भाई है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी मोडसिंह पुत्र भूताजी हिस्सा 1/2 की खातेदारी आराजी होने एवं मोडसिंह पुत्र भूताजी द्वारा नारायणसिंह पुत्र मोडसिंह के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित करने एवं प्रतिवादी मोहनसिंह पुत्र मोडसिंह का कब्जाकाश्त नहीं होकर रिकॉर्ड में केवल कागजी नाम होने के आधार पर मोडसिंह पुत्र भूताजी के हिस्से की वादग्रस्त आराजी में खातेदारी

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.12.1988 एवं वादी भोपसिंह व दो गवाहान के बयानात के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी में से अपीलांट प्रतिवादी का नाम हटा दिया गया।

4. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 मोहनसिंह जो अपीलांट के पिता है, का देहांत दिनांक 27.06.2014 को अहमदाबाद में हो चुका है। जिन्होंने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 21.08.2010 द्वारा अपीलांट के पक्ष में कर दी थीं। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता मोहनसिंह एवं रेस्पोंडेंट के पिता नारायणसिंह की सहखातेदारी भूमि थीं। नारायणसिंह ने अपने जीवनकाल में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 10.09.1991 द्वारा अपना संपूर्ण 1/2 हिस्सा सोनाराम पुत्र केसाजी लखारा को बेचान कर दी। जो नामांतरण संख्या 109 से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। तत्पश्चात सोनाराम द्वारा अपीलांट के पिता के विरूद्ध धारा 53 के तहत विभाजन का वाद पेश किया। जो वाद संख्या 36/2004 प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.12.2005 व अंतिम डिक्री दिनांक 12.06.2006 से विभाजन होकर खाता पृथक–पृथक दर्ज किया गया। अपीलांट के पिता को अधीनस्थ न्यायालय के सम्मन कभी प्राप्त नहीं हुए। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो काबिल अपास्त है।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 26.07.2011 के अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ। जो बावजूद सूचना आज अनुपस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कभी एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्सा अपने पिता नारायणसिंह द्वारा सोनाराम को विक्रय करने एवं सोनाराम व प्रतिवादी मोहनसिंह के मध्य न्यायालय आदेश से विभाजन होना व खाता पृथक–पृथक दर्ज होने आदि का कोई तथ्य अंकित नहीं करते हुए यह अंकित करते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी मोहनसिंह का महज कागजी नाम है, से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट द्वारा स्वच्छ हाथों से वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है व समस्त तथ्यों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वादपत्र में वादीगण द्वारा दावाकृत अनुतोष, प्रस्तुत साक्ष्य एवं संगत विधिक प्रावधानों का कोई विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना वादपत्र को स्वीकार कर कानूनन भूल की हैं तथा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना संभव नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने एवं अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 73ए/2011 बअनवान भीमसिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2013 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 08.05.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner